संख्या-16 /284 /78-2-2021-53आईटी/2012

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
2. समस्त जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, डी.ई.जी.एस. सोसाइटी उ0प्र0।
3. राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमतीनगर लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 27 मार्च, 2021

विषय:-जनपदों में कार्यरत ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों की सेवाऐं दिनांक 31 दिसम्बर 2020 से आगे विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, सीईजी, लखनऊ के पत्र संख्या-सीईजी/पी/9/ई-डीएम/।।/341/2021 दिनांक 20-01-2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं इस सम्बन्ध में विभिन्न जिलाधिकारियों / अध्यक्ष डीईजीएस द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में अवगत कराना है कि सीएससी 2.0 योजना के संचालन अवधि (मार्च 2016 से दिनांक 15-11-2020 तक) के दौरान एक जनशक्ति (ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) पूर्ण कालिक रूप से आवद्ध कर डीईजीएस के कार्यो का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-19/2020/1085/78-2-2020/ 34आईटी/2010 दिनांक 22-10-2020 द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी 3 वर्षो के लिए सीएससी 3.0 योजना लागू की गयी है जो दिनांक 16-11-2020 से प्रभावी है। 03 वर्ष के उपरान्त डीईजीएस एवं डीएसपी संस्था की आपसी सहमति से आगामी 02 वर्षो के लिए हस्ताक्षरित अनुबन्ध को विस्तारित किये जाने का प्राविधान है। योजना के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षित एवं अनुभवी जनशक्ति की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपदों में कार्यरत ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों की सेवाएं दिनांक 31-12-2020 के बाद विस्तारित किये जाने एवं सेवा शर्तो से सम्बन्धित शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलाधिकारियों द्वारा अनुरोध पत्र शासन को प्रेषित किये गये है।

3- उल्लेखनीय है कि डीईजीएस सोसाइटी, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत गठित एक स्वायत्तशासी संस्था है तथा सीएससी 2.0 की व्यवस्था में आवद्ध / कार्यरत जनशक्ति का प्रबन्धन (चयन/ कार्यमुक्ति / मानदेय में वृद्धि आदि) के सम्बन्ध में कार्यवाही भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी गाइड लाइन्स (e-District Manager Fellowship Program Hiring Guidlines) के अनुसार सम्बन्धित डीईजीएस द्वारा की गयी है।

4- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

I. जो डीईजीएस अपने जनपद मे तैनात ईडीएम के कार्य एवं व्यवहार से सन्तुष्ट हो, वह सीएससी 3.0 योजना हेतु ई-डीएम के साथ नया अनुबन्ध करने पर विचार कर सकते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

है। नया अनुबन्ध प्रारम्भ में 01 वर्ष के लिए किया जायेगा। 01 वर्ष के पश्चात कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाये जाने पर उनकी संविदा अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम 03 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है।

II. जनपदों में पूर्व से कार्यरत ईडीएम जिनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा जिन जनपदों में ईडीएम का पद रिक्त है, उन जनपदों में भारत सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत एचआर पॉलिसी में के अनुसार चयन प्रक्रिया का नियमानुसार अनुपालन करके नया अनुबन्ध किया जा सकता है।

5- जनपद में डीइजीएस सोसाइटी द्वारा ईडीएम के पारिश्रमिक का व्यय-भार यूजर चार्जेज में से सम्बन्धित जनपद की डीइजीएस सोसाइटी के अंश की धनराशि से ही वहन किया जायेगा एवं शासन/ सीईजी द्वारा इस मद पर किसी भी दशा में व्ययभार नहीं किया जायेगा।

6- ईडीएम को दिये जाने वाले मानदेय एवं इसमें वृद्धि के सम्बन्ध में सम्बन्धित डीईजीएस निर्णय हेतु स्वयं सशक्त है, इसके लिए भारत सरकार के उपक्रम निक्सी की दरें (Category 'A') मार्गदर्शी के रूप में पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया उक्त विषय पर अपनी सोसाइटी की बैठक आहूत कर ससमय उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, योजना भवन लखनऊ।
3. हेड, एसईएमटी, गोमती नगर लखनऊ ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-16/284 /78-2-2021-53आईटी/2012 दि0 27-03-2021 का संलग्नक

NICSI Cat-A Rates and Relevent Experience

CAT-A-Project Management support & Rollout services			
S.No.	**Resource category**	**Relevent Experience**	**Total PI Cost (in Rs.) per month**
A.	**Project Management support & Implementation**		
	"Resource Category Covered" •Software Application Support Engineer •System Software and Database Support Engineer •Networking Support Engineer •Information Security Support Engineer •Social Media Analytics Support Engineer •Rollout Support Engineer •Project Management Support Engineer •General Management Support Engineer •Any similar nature of works comparable to the above	0 to less than 2 years relevant experience	40727
		2 to less than 4 years relevant experience	44022
		4 to less than 6 years relevant experience	47581
		6 Years & Above relevant experience	51403

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।